



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938

No. 62]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

का.आ. 71(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.2536(अ) तारीख 17 सितम्बर, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 17 सितम्बर, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पण्धरियों से प्राप्त आक्षेपों और सुक्षावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मक रूप से विचार किया गया;

राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजगीर बिहार के नालंदा जिले में अक्षांश $24^{\circ}55'$ और $25^{\circ}05'$ उ. और देशांतर $85^{\circ}6'$ व $85^{\circ}30'$ पू. के मध्य स्थित है और इसका विस्तार क्षेत्र 3584 हेक्टेयर या 35.84 वर्ग किलोमीटर है;

और, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजगीर में जंगली सूअर(सस सरोफ), नीलगाय(बोसेलाफुस ट्रेगोकेमेलुस), चीतल(एक्सिस एक्सिस), जंगली मुर्गा (गैलस मूर्गी), साही (ह्यस्ट्रिक्स इडिका), खरहा (लेपस निग्रिकललीस), लंगूर (सेमनोपिथेकस इंटेलस), बन्दर (मङ्क मुलता), सियार (कैनीस ऑरियस) आदि बेहद महत्वपूर्ण प्रजाति है, लेकिन इसके अलावा भी कई लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे कि मुंजक (मुनिटेक्स मुन्तजक), अजगर(पाइथन मोल्यूस) आदि भी इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं;

और, अभ्यारण्य में सारवान जीवजन्तु विविधता है, जिसमें बड़े स्तनपाइयों की 28 प्रजातियाँ, पक्षियों की 183 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 39 प्रजातियाँ, उभयचरों की 11 प्रजातियाँ, मछलियों की 13 प्रजातियाँ और तितलियों की 51 प्रजातियाँ सम्मिलित हैं जिसमें से अनेक संकटापन्न हैं;

और, इस अभ्यारण्य के जंगल, वर्षा के पानी को बाहर जाने से रोकते हैं और जमीन के पानी को अधिक मूल्यवान करने में मदद करते हैं, साथ ही मिट्टी कटाव को रोककर कीचड़ और सिल्ट के जमाव से नदियों और झारनों की रक्षा करते हैं और अभ्यारण्य में मिथित पर्णपाती वन के साथ पारिस्थितिक महत्व के वनस्पति और जंतु हैं;

और, राजगीर अभ्यारण्य का भू-स्थल ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है;

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विहार राज्य में राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 100 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएँ--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 100 मीटर से 3 किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्रफल 2954.5 हेक्टेयर है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर अक्षांश $25^{\circ}0'52.202''$ उ. और देशान्तर $85^{\circ}28'54.122''$ पूर्व (उपावंध-I मानचित्र का बिन्दु सं.17); पश्चिम की ओर अक्षांश $24^{\circ}59'13.562''$ उ. और देशान्तर $85^{\circ}20'51.722''$ पूर्व (उपावंध-I मानचित्र का बिन्दु सं.3); उत्तर की ओर अक्षांश $25^{\circ}0'59.879''$ उ. और देशान्तर $85^{\circ}25'45.042''$ पू. (उपावंध-I मानचित्र का बिन्दु सं. 24) और दक्षिण की ओर अक्षांश $24^{\circ}57'10.082''$ उ. और देशान्तर $85^{\circ}23'35.522''$ पू. (उपावंध-I मानचित्र का बिन्दु सं. 7) तक घिरा हुआ है।

(3) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र, वन्यजीव अभ्यारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक उपावंध I के रूप में उपावद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले नगर पंचायतों और ग्रामों की सूची इसके प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ उपावंध-II के रूप में उपावद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में संभर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) पुरातत्त्वीय विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना सर्कल;
- (iv) नगर विकास ;
- (v) पर्यटन ;
- (vi) नगरपालिका ;
- (vii) राजस्व ;

(viii) कृषि ; और

(ix) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोवस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपराऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अध्यक्षन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं 0 23, 27, 32 और 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचय; और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 या तसमय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, बिहार सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) पारिस्थितिक पर्यटन मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और विश्राम स्थल अनुज्ञात नहीं होंगे।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्जिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्जिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिसाव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिसाव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थलों पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भज्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्रणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है। मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और बहुत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों, लकड़ी के फट्टों पर पतला परत बनाने की मीलों या अन्य लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बहुत जल विद्युत परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्तर्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
ख. विनियमित क्रियाकलाप :		
(9)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।

(10)	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापना।	कोई नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या सीमा तक पारिस्थितिक पर्यावरण क्रियाकलापों से संबंध पर्यटकों के अस्थाई आवास के सिवाय, जो नजदीक हो अनुज्ञात नहीं होगा : परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन से एक किलोमीटर से परे या उसके विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तारण पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
(11)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(12)	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में सन्निर्माण जिसके अंतर्गत पैरा ३ के उप पैरा (१) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी है, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) परन्तु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों के लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जाएगा। (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से अधिक है तो वहाँ, वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सन्निर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होगा।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी सम्मिलित है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(14)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण।	उचित पर्यावरण समाधात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्भाव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्भाव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	सुरक्षा बलों के कैप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु नए काष्ठ आधारित उद्योग शतप्रतिशत आयातित काष्ठ स्टॉक के उपयोग वाले पारिस्थितिक संवेदी में स्थापित किया जाएगा।
(27)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए कनात, लकड़ी के घर आदि जैसे पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	नदियों और प्राकृतिक जल निकायों में मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

ग. संवर्धित क्रियाकलाप :

(31)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(32)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(33)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(35)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(36)	वानस्पतिक धेराबन्दी।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(37)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(38)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(39)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(40)	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) आयुक्त, पटना, राजस्व प्रभाग, पटना

अध्यक्ष;

(ख) खनन और भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि

सदस्य;

(ग)	पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(घ)	क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(ङ.)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(च)	बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(छ.)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना सर्किल का एक प्रतिनिधि	सदस्य ;
(ज)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य ;
(झ)	(झ) प्रभागीय वन अधिकारी, नालंदा वन प्रभाग	सदस्य-सचिव।

निर्देश निबंधन :

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संब्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 39) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्रों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्धारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध III में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।


7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/29/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपांच्छ - I

राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार का इसके अक्षांश और देशान्तर सीमा और विस्तार के साथ परिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के अक्षांश और देशान्तर (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली) के निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश-देशान्तर
1	25° 1' 9.266" उ 85° 28' 41.395" पू
2	25° 0' 59.876" उ 85° 28' 39.594" पू
3	24° 59' 29.762" उ 85° 27' 51.395" पू
4	24° 58' 16.911" उ 85° 24' 55.765" पू
5	24° 57' 38.883" उ 85° 23' 24.254" पू
6	24° 58' 21.586" उ 85° 22' 19.336" पू
7	24° 59' 28.339" उ 85° 22' 58.863" पू
8	24° 59' 3.751" उ 85° 21' 40.131" पू

9	25° 0' 24.511" उ 85° 23' 46.750" पू
10	25° 1' 29.155" उ 85° 25' 56.702" पू
11	25° 1' 38.400" उ 85° 26' 10.389" पू
12	25° 1' 23.265" उ 85° 26' 41.237" पू
13	25° 0' 34.146" उ 85° 26' 50.575" पू

राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अक्षांश और देशांतर (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली) के निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश-देशांतर	क्र. सं.	अक्षांश-देशांतर
1	25° 0' 51.482" उ 85° 23' 22.922" पू	16	25° 0' 21.242" उ 85° 28' 29.642" पू
2	25° 0' 25.562" उ 85° 22' 26.042" पू	17	25° 0' 52.202" उ 85° 28' 54.122" पू
3	24° 59' 13.562" उ 85° 20' 51.722" पू	18	25° 1' 26.042" उ 85° 28' 49.802" पू
4	24° 58' 20.282" उ 85° 21' 40.682" पू	19	25° 1' 41.162" उ 85° 27' 48.917" पू
5	24° 58' 33.962" उ 85° 21' 10.442" पू	20	25° 1' 36.122" उ 85° 27' 19.802" पू
6	24° 57' 37.082" उ 85° 22' 35.402" पू	21	25° 1' 50.522" उ 85° 25' 45.482" पू
7	24° 57' 10.082" उ 85° 23' 35.522" पू	22	25° 1' 23.162" उ 85° 25' 57.002" पू
8	24° 57' 40.682" उ 85° 24' 23.402" पू	23	25° 1' 20.150" उ 85° 25' 50.076" पू
9	24° 57' 38.522" उ 85° 24' 55.802" पू	24	25° 0' 59.879" उ 85° 25' 45.042" पू
10	24° 57' 52.922" उ 85° 25' 19.562" पू	25	25° 0' 47.882" उ 85° 25' 22.442" पू
11	24° 58' 5.951" उ 85° 26' 14.394" पू	26	25° 0' 42.845" उ 85° 24' 54.012" पू
12	24° 58' 28.202" उ 85° 26' 40.922" पू	27	25° 0' 29.555" उ 85° 24' 6.704" पू
13	24° 58' 35.402" उ 85° 27' 31.322" पू	28	25° 0' 20.830" उ 85° 23' 35.504" पू
14	24° 58' 56.282" उ 85° 28' 17.402" पू	29	25° 0' 31.630" उ 85° 23' 23.984" पू
15	24° 59' 25.802" उ 85° 28' 32.522" पू	-	-

उपांश- II

राजगीर वन्यजीव अभयारण, बिहार के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों/नगर पंचायतों की सूची

क. पारिस्थितिक संवेदी जोन की 100 मीटर की परिधि में नगर पंचायत :

क्र.सं.	ग्रामों के नाम	नगर पंचायत	प्रशासनिक खंड	थाना सं.	ग्रामों का क्षेत्र (हेक्टेर में)	वन क्षेत्र (हेक्टेर में)	पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र	
							गैर वन	वन क्षेत्र
1	राजगीर	राजगीर पंचायत	राजगीर	485	5018	3584	50 हेक्टेर (100 मीटर x 5000 मीटर)	0 हेक्टे
2	महादेवोपुर	"	"	483				
3	मटीहानी	"	"	482				
4	पंडितपुर	"	"	475				

ख. पारिस्थितिक संवेदी जोन की 1 किलोमीटर की सीमा की परिधि में गांव :

क्र.सं.	ग्रामों के नाम	पंचायत	खंड	थाना सं.	ग्रामों का क्षेत्र (हेक्टेर में)	वन क्षेत्र (हेक्टेर में)	पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र	
							गैर वन (हेक्टेर में)	वन क्षेत्र (हेक्टेर में)
1	नेकपुर	पिलखी	राजगीर	486	596	0	216	0
2	पिलखी	"	"	484	563	0	193	0
3	हंसराजपुर	नईपोखर	"	459	280	0	233	0
4	उजरपुर	"	"	458	192	0	145	0
5	नागदिह	बाराकर	सिलायो	457	303	0	44	0
6	शेखपुर	"	"	456	161	0	62	0
7	सिथौरा	"	"	448	482	7.10	77.90	7.10
8	रसालपुर	नईपोखर	राजगीर	460	138	0	15	0
9	घोराकटोरा	गिरीयाक	गिरीयाक	353	1288	1056.20	0	243
10	जेठियान	जेठियान	मुहरा	223	2076	1282	0	218.4
11	भोजपुर	छकरा	अतरी	221	267	185.7	0	12.14
12	छकरा	"	अतरी	220	1033	662.4	0	360.0
13	सिमरौर बरैनी	सिंधौल	नीमछाक बथानी	218	571	89	70	25
14	पेस	हरिया	नारजीगंज	1	258	0	10	0
15	पनछेया	"	"	3	130	0	42	0
16	रामपुर	"	"	5	94	0	68	0
17	फालदु	दोहरा	"	6	190	0	190	0
18	चौरिमा	"	"	419	121	0	122	0
19	दोहरा	"	"	420	833	0	417	0
20	गोत्रयान	"	"	417	317	0	24	0
21	छिरैया	"	"	418	87	0	10	0
22	हरिया	हरिया	"	4	557	0	83	0

23	राजापुर	हरिया	"	7	125	0	17	0
					10662	3282.4	2038.9	865.6
पारिस्थितिक संवेदी जोन में ग्राम और नगर पंचायत का क्षेत्र (गैर वन) =							2038.90 हेक्टे + 50 हेक्टे = 2088.90 हेक्टे	
पारिस्थितिक संवेदी जोन में ग्राम और नगर पंचायत का क्षेत्र (वन) =							865.60 हेक्टे	
पारिस्थितिक संवेदी जोन राजगीर वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्र =							2954.5 हेक्टे या 29.54 वर्ग किमी.	

उपांध- III**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्यवाई की रिपोर्ट का रूप विद्धान**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपावद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधान के मामलों का सारांश। व्यौरों को पृथक उपावंश के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधान के मामलों का सारांश। व्यौरों को पृथक उपावंश के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, 9th January, 2017

S.O. 71(E).—Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2536 (E), dated the 17th September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the dated the 17th September, 2015;

And whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

And whereas, the Rajgir Wildlife Sanctuary, Rajgir lies between latitudes 24°55' and 25°05' N and longitude 85°6' and 85°30' E in the Nalanda District of Bihar and extends over an area of 3584 hectares or 35.84 square kilo meter.

And whereas, the Wild Boar (*Sus scrofa*), Neelgai (*Boselaphus tragocamelus*), Cheetal (*Axis axis*), Jungle fowl (*Gallus gallus murghi*), porcupine (*Hystrix indica*), Hare (*Lepus nigricollis*), Langur (*Semnopithecus entellus*), Monkey (*Macaca mulatta*), Jackal (*Canis aureus*) are the species of vital importance in Rajgir Wildlife Sanctuary, Rajgir besides some of the endangered species like, Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Python (*Python molurus molurus*) etc. are also found in the Sanctuary;

And whereas, the sanctuary has substantial faunal diversity with 28 species of large mammals, 183 species of birds, 39 species of reptiles, 11 species of amphibians, 13 species of fish and 51 species of butterfly, many of whom are threatened;

And whereas, the forests of this sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer, protect rivers and streams against siltation by minimising soil erosion and the sanctuary has ecologically important species of Flora and Fauna, with mixed deciduous forest;

And whereas, the Rajgir Sanctuary landscape is also significant from historical and archaeological perspective;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Rajgir Wildlife Sanctuary as Eco-Sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 metres to three kilometres from the boundary of the Rajgir Wildlife Sanctuary in the State of Bihar as the Rajgir Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 100 metres to three kilometre from the boundary of the Rajgir Wildlife Sanctuary and the area of Eco- Sensitive Zone is 2954.5 hectares.

(2) The Eco-Sensitive Zone is bounded by 25°0'52.202"N latitude and 85°28'54.122"E longitude towards east (point no.17 of Annexure I map); 24°59'13.562"N latitude and 85°20'51.722"E longitude towards west (point no.3 of Annexure I map); 25°0'59.879"N latitude and 85°25'45.042"E longitude towards north (point no.24 of Annexure I map) and 24°57'10.082"N latitude and 85°23'35.522"E longitude towards south (point no.7 of Annexure I map).

(3) The map of Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude, co-ordinates of Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are appended as **Annexure I**.

(4) The list of Nagar Panchayats and villages falling within Eco-Sensitive Zone along with coordinates of the prominent points is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-Sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i). Environment;
- (ii). Forest;
- (iii). Archaeological Department, Archaeological Survey of India, Patna Circle
- (iv). Urban Development;
- (v). Tourism;
- (vi). Municipal;
- (vii). Revenue;
- (viii). Agriculture; and
- (ix). Bihar State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Landuse.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 23, 27, 32 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:—

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses for eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting; and
- (iv) Cottage industries including village artisans :

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-Sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Bihar in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Bihar.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely.—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-Sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-Sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone.—All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities:		
1.	Commercial mining, stone quarrying, brick-kiln, soil excavation, sand mining and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents.</p> <p>(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India</p>

		in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills, veneer mills or other wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities:		
9.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities : Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
11.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Regulated under applicable laws.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer : Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use

		<p>including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:</p> <p>(b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for <i>bona fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.</p> <p>(b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.</p> <p>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.</p> <p>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>
14.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical cables, Transmission lines and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, Non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-

		based industry producing products from indigenous goods from the Eco-Sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
26.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-Sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-Sensitive using 100% imported wood stock.
27.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
28.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated under applicable laws.
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities:

31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
36.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Environment Awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.**—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (a) The Commissioner of Patna, Revenue Division, Patna – Chairman;
- (b) A representative of Department of Mines and Geology, Government of Bihar- Member;
- (c) A representative of Department of Tourism, Government of Bihar – Member;
- (d) Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board-Member;

- (e) A representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Bihar for a term of three years – Member;
- (f) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar for three years - Member;
- (g) A representative of Archaeological Survey of India, Patna Circle-Member;
- (h) Member Biodiversity State Board-Member; and
- (i) Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division- Member Secretary.

Terms of reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Committee shall be three years.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per proforma appended at **Annexure III**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.


7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/29/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-Sensitive Zone boundary of Rajgir Wildlife Sanctuary, Bihar together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



LATITUDE - LONGITUDE (Geographical Positioning System) CO-ORDINATES OF RAJGIR WILDLIFE SANCTUARY

Id. No.	LATITUDE - LONGITUDE	
1	25° 1' 9.266" N	85° 28' 41.395" E
2	25° 0' 59.876" N	85° 28' 39.594" E
3	24° 59' 29.762" N	85° 27' 51.395" E
4	24° 58' 16.911" N	85° 24' 55.765" E
5	24° 57' 38.883" N	85° 23' 24.254" E
6	24° 58' 21.586" N	85° 22' 19.336" E
7	24° 59' 28.339" N	85° 22' 58.863" E
8	24° 59' 3.751" N	85° 21' 40.131" E
9	25° 0' 24.511" N	85° 23' 46.750" E

10	25° 1' 29.155" N 85° 25' 56.702" E
11	25° 1' 38.400" N 85° 26' 10.389" E
12	25° 1' 23.265" N 85° 26' 41.237" E
13	25° 0' 34.146" N 85° 26' 50.575" E

LATITUDE - LONGITUDE (Geographical Positioning System) CO-ORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAJGIR WILDLIFE SANCTUARY			
Id. No.	LATITUDE - LONGITUDE	Id. No.	LATITUDE - LONGITUDE
1	25° 0' 51.482" N 85° 23' 22.922" E	16	25° 0' 21.242" N 85° 28' 29.642" E
2	25° 0' 25.562" N 85° 22' 26.042" E	17	25° 0' 52.202" N 85° 28' 54.122" E
3	24° 59' 13.562" N 85° 20' 51.722" E	18	25° 1' 26.042" N 85° 28' 49.802" E
4	24° 58' 20.282" N 85° 21' 40.682" E	19	25° 1' 41.162" N 85° 27' 48.917" E
5	24° 58' 33.962" N 85° 21' 10.442" E	20	25° 1' 36.122" N 85° 27' 19.802" E
6	24° 57' 37.082" N 85° 22' 35.402" E	21	25° 1' 50.522" N 85° 25' 45.482" E
7	24° 57' 10.082" N 85° 23' 35.522" E	22	25° 1' 23.162" N 85° 25' 57.002" E
8	24° 57' 40.682" N 85° 24' 23.402" E	23	25° 1' 20.150" N 85° 25' 50.076" E
9	24° 57' 38.522" N 85° 24' 55.802" E	24	25° 0' 59.879" N 85° 25' 45.042" E
10	24° 57' 52.922" N 85° 25' 19.562" E	25	25° 0' 47.882" N 85° 25' 22.442" E
11	24° 58' 5.951" N 85° 26' 14.394" E	26	25° 0' 42.845" N 85° 24' 54.012" E
12	24° 58' 28.202" N 85° 26' 40.922" E	27	25° 0' 29.555" N 85° 24' 6.704" E
13	24° 58' 35.402" N 85° 27' 31.322" E	28	25° 0' 20.830" N 85° 23' 35.504" E
14	24° 58' 56.282" N 85° 28' 17.402" E	29	25° 0' 31.630" N 85° 23' 23.984" E
15	24° 59' 25.802" N 85° 28' 32.522" E	-	-

Annexure II

List of Nagar Panchayats / villages falling within the proposed Eco-Sensitive Zone of Rajgir Wildlife Sanctuary, Bihar.

A. Nagar Panchayats in Eco-Sensitive Zone of 100 meter periphery:

Sl. No.	Name of Village	Nagar Panchayat	Administrative Block	Thana No.	Area of Village (in Ha.)	Forest Area(in Ha.)	Area of Eco-Sensitive zone	
							Non-forest	Forest area
1	Rajgir	RajgirPanchyat	Rajgir	485	5018	3584	50 Ha. (100m x 5000m)	0 Ha.
2	Mahadeopur	"	"	483				
3	Matihani	"	"	482				
4	Panditpur	"	"	475				

B. Villages in Eco-Sensitive Zone of three kilometres periphery:

Sl. No	Name of Village	Panchayat	Block	Thana No.	Area of Village (in Ha.)	Forest Area (in Ha.)	Area of Eco Sensitive zone	
							Non- forest (in Ha.)	Forest area (in Ha.)
1	Nekpur	Pilkhi	Rajgir	486	596	0	216	0
2	Pilkhi	"	"	484	563	0	193	0
3	Hansrajpur	NaiPokhar	"	459	280	0	233	0
4	Ujarpur	"	"	458	192	0	145	0
5	Nagdih	Barakar	Silao	457	303	0	44	0
6	Shekhpur	"	"	456	161	0	62	0
7	Sithaura	"	"	448	482	7.10	77.90	7.10
8	Rasalpur	NaiPokhar	Rajgir	460	138	0	15	0
9	GhoraKatora	GiriyaK	GiriyaK	353	1288	1056.20	0	243
10	Jethian	Jethian	Muhra	223	2076	1282	0	218.4
11	Bhojpur	Chakra	Atri	221	267	185.7	0	12.14
12	Chakra	"	Atri	220	1033	662.4	0	360.0
13	SimraurBaraini	Singhaul	Neemchakbathani	218	571	89	70	25
14	Pes	Hariya	Nardiganj	1	258	0	10	0
15	Pancheya	"	"	3	130	0	42	0
16	Rampur	"	"	5	94	0	68	0
17	Phaldu	Dohra	"	6	190	0	190	0
18	Chaurima	"	"	419	121	0	122	0
19	Dohra	"	"	420	833	0	417	0
20	Gotryan	"	"	417	317	0	24	0
21	Chiraia	"	"	418	87	0	10	0
22	Hariya	Hariya	"	4	557	0	83	0
23	Rajapur	Hariya	"	7	125	0	17	0
					10662	3282.4	2038.9	865.6
Area of Eco- Sensitive Zone of villages and Nagar Panchayat (Non- Forest) =							2038.90 Ha.+ 50Ha = 2088.90 Ha.	
Area of Eco- Sensitive Zone of villages and Nagar Panchayat (Forest) =							865.60 Ha.	
Total Area of Eco-Sensitive Zone of Rajgir wildlife Sanctuary =							2954.5 Ha. or 29.54 Sq. km.	

Annexure III**Proforma of Action Taken Report of the Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.